# गरियाबंद जिले में ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खुला उल्लंघन : गणेश साहू

**राजिम,** 28 अक्टूबर (देशबन्धु)। दीपावली का त्यौहार प्रारंभ हो चुका है और लोग प्रकाश उत्सव के इस पर्व को मनाने पूरी तैयारी कर चुके है। जिसमें नये कपड़े, नये पकवान ही नही फटाखें और नाच-गाना के साथ पूरी खुमारी चढ गया मालूम पड़ता है। जो स्वाभाविक भी है अव्यवस्था की सच्चाई को परोसते हुए समाज सेवी गणेश साहू ने कहा कि कुछ अस्वाभाविक है जो ये देर रात तक हिन्दी और छत्तीसगढी फिल्मों के गानों पर फुहड नृत्य और दो अर्थी संवाद के साथ तेज आवाज और डीजे की धून पर थिरकता हमारे युवाओं का कानफोडू आवाज में लोगों के जीवन जीने के अधिकार को हनन करता रात्रिकालिन वह प्रोगाम है जिसे मातर मंडई का नाम देकर परोसा जा रहा है। वो भी उन निर्दोष चित्त में जो अभी-अभी तो पंख फैलाना शुरू ही किये होते है। यानी हमारी नई पीढी और हमारी नई नस्ल जिसे इस फुहडता में अपना उत्सव का सार तलाशने जाने-अनजाने लगा दिया गया है।

गाँव-गाँव में ग्राम विकास समिति बना है जो अमूमन लठैतों का एक समूह ही होता है जिसका विरोध करने पर कानून से परे वे जाने हमेशा तैयार बैठे रहते है और जिसके कारण त्यौहार के बीतते ही गाँव-गाँव से लडाई और दंगे ही नही बल्कि संगीन अपराध की भी खबर आती है वो इन्ही तत्वों की करामात का नतीजा होता है। जिसे रोक पान शासन और प्रशासन भी लाचार मालूम पडता है क्यों कि शुरूआत कौन करे की तर्ज पर और पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर कौन करे की तर्ज पर सब खून के घूट पीने मजबूर है।

**मातर-मड़ई के नाम पर नई पीढ़ी को फूहड़ता परोस रहे गांवों के नए बने ठेकेदार**

खैर शुरूआत तो हम कर देते है और बताते है कि ध्वनि प्रदूषण और नियंत्रण कानून-2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर पाबंदी है। ऐसा करना गैर कानूनी और क्राइम है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण याने एनजीटी भी इस बात की पुष्टि करता है और तेज लाउडस्पीकर और डीजे बजाने की इजाजत नही देता है। अगर देर रात तक लाउडस्पीकर या डीजे बजाने से किसी की नींद खराब होती है या मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पडता है तो यह उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। यहा यह बताना जरूरी है कि लाउडस्पीकर और डीजे का धर्म से कोई लेना देना नही है नही तो अपराधी तत्व अक्सर धर्म उत्सव का विरोध करना बताते हुए विवाद की स्थिति निर्मित करते देखे जाते है। जबकि माननीय न्यायालय ने कहा था कि किसी दूसरे व्यक्ति को उसके इच्छा के विरूद्ध सुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और यह सार्वजनिक उपद्रव की श्रेणी में आता है।

राजिम अंचल के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने गत दिनों जिले के एडिसनल एसपी से मिलकर इस संबंध में निवेदन करते हुए गाँव-गाँव में मातर मंडई में होने वाले इन उपद्रवों को रोकने की मांग की है जो समाज जीवन में नासूर की तरह जीना दुश्वार किये हुए है।

# बुटलूराम के प्रयासों में सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक संरक्षण शामिल : प्रधानमंत्री

**नारायणपुर,** 28 अक्टूबर (देशबन्धु)। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने च्मन की बातज्ज कार्यक्रम के 115वें संस्करण में नारायणपुर जिले के देवगांव निवासी बुटलूराम माथर की प्रशंसा करते हुए विशेष रूप से अबुझमाड़िया जनजाति की लोककला के संरक्षण, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान और स्वच्छ भारत मिशन में उनके योगदान को उजागर किया। बुटलूराम माथरा पिछले चार दशकों से जनजातीय लोककला के संरक्षण में सक्रिय हैं। उनके प्रयासों ने न केवल स्थानीय संस्कृति को जीवित रखा है, बल्कि उन्होंने अपनी कला के माध्यम से सामाजिक अभियानों को भी बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे कार्य समाज को प्रेरित करते हैं और देश की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने में सहायक होते हैं।

श्री बुटलूराम माथरा ने बताया कि उन्होंने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है लेकिन मुख्य पेशे के तौर पर कृषक होने के नाते वे बांस की कला कृतियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाते हैं। इससे वे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। उनकी कृतियों में बांस की सजावट, बर्तन और अन्य यांत्रिक उपकरण शामिल हैं, जो न केवल सुंदरता में वृद्धि करते हैं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। बुटलूराम जी का मानना है कि कला समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है और इससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बुटलूराम के प्रयासों को एक मिशन के रूप में देखा, जिसमें सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक संरक्षण दोनों शामिल हैं।

# डॉ. वैदेही को मिला राष्ट्रपति के हाथों स्वर्ण पदक

**बलौदाबाजार,** 28 अक्टूबर (देशबन्धु)। पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्व विद्यालय रायपुर में आयोजित तृतीय दीक्षांत समारोह में नगर की डॉ. वैदेही यादव बाजपेयी को कार्यक्रम की मुख्य अतिथि व राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु के द्वारा स्वर्गीय आशुतोष श्यामाचरण जी. नाथ तिवारी स्मृति गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रमन डेका राज्यपाल छ.ग., विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल थे। वैदेही को यह पुरस्कार एमबीबीएस फाईनल पार्ट 2, 2023 में विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर प्रदान किया गया। वे नगर के प्रमुख व्यवसायी आयुष्मान बाजपेयी की धर्म पत्नी व धीरज बाजपेयी की बहु हैं। वैदेही के स्वर्ण पदक से सम्मानित होने पर परिजनों व नगरवासियों ने हर्ष व्यक्त किया है।

**विश्वविद्यालय में एमबीबीएस में प्राप्त किया सर्वोच्च अंक**

# सरपंच प्रीति सोनवानी को पद से हटाया, 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध

**महासमुंद** 28 अक्टूबर (देशबंधु)। ग्राम पंचायत बागबाहराकला की सरपंच श्रीमती प्रीति सोनवानी को छग पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत उनके कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में पद से हटा दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं दंडाधिकारी बागबाहरा उमेश साहू द्वारा दिए गए आदेशानुसार उन्हें अगले 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचन में भाग लेने से भी निरर्हित कर दिया गया है। जारी आदेश में ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत बागबाहरा के रिपोर्ट के अनुसार 17 जुलाई 2024 से प्रीति सोनवानी ग्राम पंचायत कार्यालय से लगातार अनुपस्थित थीं। ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण बैठकों 29 जुलाई, 13 अगस्त और 9 सितंबर 2024 में उनकी गैरमौजूदगी ने पंचायत के कार्यों को बाधित किया। पंचायत की ओर से बताया गया कि सरपंच और उनके पति बिना किसी पूर्व सूचना के अपने बच्चों को रिश्तेदार के घर छोड़कर कहीं चले गए। उनके मोबाइल फोन बंद होने के कारण उनसे संपर्क करना भी संभव नहीं हो पाया। इस अनुपस्थिति के चलते पेंशन, राशन कार्ड, आय-जाति निवास प्रमाण पत्र और निर्माण कार्य जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य ठप हो गए। सरपंच प्रीति सोनवानी को उनकी अनुपस्थिति पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन उनके निवास पर भी अनुपस्थित पाए जाने पर ग्राम कोटवार के माध्यम से चस्पा नोटिस तामील करवाई गई। नोटिस के जवाब न देने और पक्ष प्रस्तुत न करने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई। जनपद पंचायत बागबाहरा की जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं दंडाधिकारी ने निर्णय दिया कि सरपंच द्वारा अपने कर्तव्यों में गंभीर लापरवाही और पंचायत कार्यों में उदासीनता बरती गई।

**न्यायालय तहसीलदार गुरूर**
**जिला-बालोद (छ.ग.)**
**उद्घोषणा**

क्रमांक/109/प्र.तह./2024
गुरूर, दिनांक 08.10.2024

एतद् द्वारा सर्वसाधारण ग्रामवासी पेण्डरवानी प.ह.नं. 08 एवं आम जनता तहसील गुरूर जिला बालोद को सूचित किया जाता है कि आवेदक गयाराम आ. जयराम जाति मरार निवासी पेन्डरवानी तहसील गुरूर जिला बालोद ने आवेदन पेश किया है कि आवेदक के पत्नी खेदीन बाई पति गयाराम की मृत्यु दिनांक 18.07.2024 को ग्राम पेण्डरवानी में हुई है। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने बाबत् आदेशित किया जावे।

अतएव उपरोक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति संस्था हितबद्ध पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 04.11.2024 तक स्वयं या विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा आपत्ति पेश कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं सील मुहर से जारी किया गया।

**मुहर** **तहसीलदार गुरूर**

**न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)**
**ईश्तहार**

रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष 2023-2024

एतद द्वारा आम जनता ग्राम रोहरा प.ह.नं. 06 तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.) को सूचित किया जाता है कि आवेदक तुलसी दास कुर्रे पिता दरसराम कुर्रे निवासी ग्राम रोहरा प.ह.नं. 06 तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग. ने आवेदन मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक की दादी सतवंतीन पति स्व. सुंदरलाल का मृत्यु दिनांक 05.07.1976 को ग्राम रोहरा में होने पर भूलवश मृत्यु पंजीयन ग्राम पंचायत रोहरा में नहीं करा पाने के कारण मृत्यु पंजीयन दर्ज कर प्रमाण पत्र की मांग किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अत: उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को, कोई दावा आपत्ति हो तो वह स्वत: या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर सुनवाई दिनांक 06/11/2024 को दावा आपत्ति पेश कर सकता है। सुनवाई तारीख के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

**मुहर** **नायब तहसीलदार सिमगा**

**NAME CHANGE**

It is informed to the general public that I, MALATI NAIDU W/O PANDURANGA NAIDU resident of QTR NO. 6/A, STREET NO.-18, SECTOR-2, BHILAI, DIST- DURG (C.G.) 490001 have changed my old name MALATI NAIDU W/O PANDURANGA NAIDU so in future I should be recognized by my new name that is MALTI NAIDU W/O PANDURANGA NAIDU in all Government and other documents.

**MALTI NAIDU**
QTR NO. 6/A, STREET NO.-18,
SECTOR-2, BHILAI,
DIST- DURG (C.G.) 490001

**NAME CHANGE**

It is informed to the general public that I, SWATI RAMDAS GOURKHEDE Resident of Kamthee Line, Rajnandgaon (C.G.) have changed my old Name SWATI RAMDAS GOURKHEDE W/O AMIT SONI (D/o Ramdas Gourkhede) so in future I should be recognized by my new name that is SWATI SONI W/o AMIT SONI in all Government and other documents.

**SWATI SONI**
Kamptee Line
Rajnandgaon (C.G.)

**न्यायालय तहसीलदार आरंग**
**जिला-रायपुर (छ.ग.)**
**ईश्तहार**

रा.प्र.क्र.अ/6 वर्ष 2024-2025
आरंग, दिनांक 14.10.2024
ग्राम आरंग प.ह.नं. 29

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आवेदक संजय कुमार बिश्वास पिता महादेव बिश्वास निवासी ग्राम कुटेला, तहसील आरंग, जिला रायपुर द्वारा छ.ग. भू-राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम आरंग प.ह.नं. 29 रा.नि.मं. व तहसील आरंग स्थित परिवर्तित भूमि भूखण्ड क्र. 197 खसरा नं. 3447, 3448/1, 3448/2, 3449/1, 3449/2, 3451, 3452, 3453, 3458/3, 3509/1, 3512, 3513/1, 3513/2, 3514/2, 3515, 3517, 3518, 3520, 3521, 3522/4, 3522/5, 3527, 3528, 3529/1, 3529/2, 3530, 3531/2, 3531/3, 3532, 3531/4, 3533, 3535/1, 3535/2, 3536, 3537, 3538, 3539, 3546, 4406/2 का भाग रकबा 1403 वर्गफुट भूमि खातेदार मेसर्स अथवा इन्वेस्टमेंट आरंग पंजीकृत फर्म क्र. डी-रायपुर-881/2015-16 द्वारा/भागीदार अखिल द्वारकानी पिता प्रहलाद द्वारकानी के द्वारा पंजीकृत बैनामा दिनांक 29.05.2018 को आवेदक क्रेता संजय कुमार बिश्वास के नाम पर विक्रय विलेख निष्पादित किये जाने के उपरांत विक्रेता के द्वारा अपने शामिल खसरा को संविलियन कराने के पश्चात नया खसरा नं. 15000/1 प्राप्त हुआ है। क्रय की भूमि भूखण्ड नं. 197 संविलियन अनुसार खसरा नं. 15000/1 का भाग है। आवेदक द्वारा पूर्व में किये गये प्रमाणीकरण में संशोधन करते हुए वर्तमान खसरा नं. अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पेश कर निवेदन किये जाने पर प्रकरण इस न्यायालय में प्रारंभ किया गया।

अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को दावा/आपत्ति हो तो स्वयं उपस्थित होकर या अपने अभिभाषक के माध्यम से न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर इस न्यायालय में दिनांक 29.10.2024 तक प्रस्तुत कर सकते है। नियत अवधि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 14.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

**मुहर** **तहसीलदार आरंग**

**न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)**
**ईश्तहार**

रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष 2023-2024

एतद द्वारा आम जनता ग्राम रोहरा प.ह.नं. 06 तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.) को सूचित किया जाता है कि आवेदक तुलसी दास कुर्रे पिता दरसराम कुर्रे निवासी ग्राम रोहरा प.ह.नं. 06 तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग. ने आवेदन मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक की माता इन्दरबाई पति दरसराम का मृत्यु दिनांक 19.05.2011 को ग्राम रोहरा में होने पर भूलवश मृत्यु पंजीयन ग्राम पंचायत रोहरा में नहीं करा पाने के कारण मृत्यु पंजीयन दर्ज कर प्रमाण पत्र की मांग किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अत: उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को, कोई दावा आपत्ति हो तो वह स्वत: या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर सुनवाई दिनांक 06/11/2024 को दावा आपत्ति पेश कर सकता है। सुनवाई तारीख के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

**मुहर** **नायब तहसीलदार सिमगा**

**न्यायालय:आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम श्रम न्यायालय महासमुंद जिला-महासमुंद (छग)**
**पक्षकारों की हाजिर होने की सूचना**

**प्रकरण क्रमांक07/डब्ल्यू.सी.एक्ट/2024/विविध**
**1 श्रीमती शकुन उर्फ शकुन्तला महेश्वरी, उम्र 35 वर्ष पति स्व. महावीर माहेश्वरी 2 लिकेश उम्र 12 वर्ष, पिता स्व. महावीर माहेश्वरी, नाबालिक पुत्र द्वारा नैसर्गिक मित्र एवं माता श्रीमती शकुन उर्फ शकुन्तला महेश्वर, दोनों निवासी भोंथीडीह, तहसील व थाना गोबरा नयापारा, जिला महासमुंद (छग)**
**आवेदिकागण**
**बनाम**
**शाखा प्रबंधक दि यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कृष्णा काम्प्लेक्स कचहरी चौक रायपुर जिला रायपुर (छग)**
**अनावेदक**

उपरोक्त पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 19.05.2014 को कर्मचारी महावीर महेश्वरी की नियोजित कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से मुआवजे की राशि शाखा प्रबंधक दि यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 7,78,135 रुपए (सात लाख अठहत्तर हजार एक सौ पैतीस रुपए) आश्रितगण को आबंटित करने के लिए न्यायालय में जमा है।

आप लोग आयुक्त श्रम न्यायालय महासमुंद (सुश्री संघपुष्पा भतपहरी) में अपने पहचान के संबंध में आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक और वर्तमान फोटोग्राफ नोटरी द्वारा सत्यापित लेकर न्यायालय में सुबह 11 बजे उपस्थित रहे।

**(सुश्री संघपुष्पा भतपहरी)**
**आयुक्त**
**कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम**
**श्रम न्यायालय महासमुंद (छग)**
सील

**न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)**
**ईश्तहार**

रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष 2023-2024

एतद द्वारा आम जनता ग्राम रोहरा प.ह.नं. 06 तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.) को सूचित किया जाता है कि आवेदक तुलसी दास कुर्रे पिता दरसराम कुर्रे निवासी ग्राम रोहरा प.ह.नं. 06 तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग. ने आवेदन मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक की माता इन्दरबाई पति दरसराम का मृत्यु दिनांक 19.05.2011 को ग्राम रोहरा में होने पर भूलवश मृत्यु पंजीयन ग्राम पंचायत रोहरा में नहीं करा पाने के कारण मृत्यु पंजीयन दर्ज कर प्रमाण पत्र की मांग किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अत: उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को, कोई दावा आपत्ति हो तो वह स्वत: या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर सुनवाई दिनांक 06/11/2024 को दावा आपत्ति पेश कर सकता है। सुनवाई तारीख के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

**मुहर** **नायब तहसीलदार सिमगा**

## कार्यालय नगर पालिका परिषद नारायणपुर, जिला- नारायणपुर (छ.ग.)

**क्रमांक / 1627/मु.न.अ./न.पा.परि./2024** **नारायणपुर, दिनांक 25.10.2024**

### मैनुअल पद्धति निविदा सूचना

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अन्तर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से नगर पालिका परिषद नारायणपुर में निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल पद्धति निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से त्री लिफाफा पद्धति में सीलबंद निविदाएं अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है-

1. निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि - 18.11.2024 सायं 5.30 बजे तक
2. निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि - 19.11.2024 सायं 5.30 बजे तक
3. निविदा प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि - 22.11.2024 अपरान्ह 3.00 बजे तक
4. निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि - 22.11.2024 सायं 5.30 बजे

| क्र. | कार्य का नाम | अनुमानित लागत राशि (लाख में) | अमानत राशि | समयावधि | ठेकेदार की श्रेणी | निविदा प्रपत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वार्ड क्र. 07 में नवीन सीमेंट कांक्रीट मार्ग नाली सहित | 3.00 | 3000.00 | 02 माह | सक्षम श्रेणी | 750.00 |

उपरोक्त कार्य की निविदा की सामान्य शर्तें धरोहर राशि विस्तृत निविदा विज्ञप्ति निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी वेबसाईट पोर्टल https://uad.cg.gov.in एवं नगर पालिका परिष नारायणपुर में कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है।

**मुख्य नगर पालिका अधिकारी**
**नगर पालिका परिषद, नारायणपुर**

**न्यायालय नजूल अधिकारी, भाटापारा जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)**
**ईश्तहार**

**रा.प्र.क.202410211100020**
**अ/20 (3) वर्ष 2024-25**

एतद् द्वारा सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सागर केशरवानी पिता महेश प्रसाद केशरवानी निवासी - बजरंग वार्ड भाटापारा तहसील भाटापारा ने नगर भाटापारा स्थित नजूल भूमि शीट क्रमांक 13-सी, भू-खण्ड क्रमांक 19, क्षेत्रफल 355.21 वर्गफीट निर्धारण 4.80 रुपये भूमि नजूल अभिलेख में धारक महेश प्रसाद केशरवानी पिता कौशल प्रसाद केशरवानी के एकल नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि के धारक की मृत्यु हो जाने के कारण नजूल अभिलेख से उनके नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसानों के नाम से फौती नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ शपथपत्र, भेंटेनेंस खसरा, मृत्यू प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।

उक्त नामांतरण के संबंध में जिस किसी को आपत्ति / दावा करना हो तो अपना आपत्ति दावा प्रकरण सुनवाई हेतु नियत दिनांक 03/11/2024 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक पश्चात् प्राप्त आपत्ति / दावा पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 24/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सील **नजूल अधिकारी भाटापारा**

**न्यायालय-रोज़मीन राजेश खाखा, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी भाटापारा जिला बलौदाबाजार (छ.ग.)**
**आम सूचना**

**प्रोसेस क्रमांक-255/24** **सेक्सेशन क्रमांक 10/2024**
**पेशी दिनांक 25.112024**
**पक्षकार:- द्वारिका प्रसाद वगैरह विरूद्ध आम जनता (जिसका इससे संबंध हो) वगैरह**
**उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन की सूचना अंतर्गत भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 की धारा 372**

आवेदक द्वारिका प्रसाद केशरवानी वल्द भागीरथी केशरवानी, उम्र 75 वर्ष निवासी प्लाट नंबर 117 कोसावाडी कोरबा थाना सिविल लाईन जिला कोरबा छ.ग. ने आम जनता (जिसका इससे संबंध हो) एवं बैंक आफ बडौदा शाखा भाटापारा द्वारा शाखा प्रबंधक शंकर वार्ड भाटापारा जिला बलौदाबाजार छ.ग. के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदक के भाई स्व भरत लाल केशरवानी की आकस्मिक मृत्यु दिनांक 25.08.2023 को चुका है। आवेदक के भाई मृतक स्व भरत लाल केशरवानी के नाम पर बैंक आफ बडौदा शाखा भाटापारा में एक बचत खाता क्रमांक 86740100001927 है। जिसमें वर्तमान स्थिति में रकमर 18541/- रूपये (अक्षरी अठारह हजार पांच सौ इकचालीस रूपये) जमा है। अत: बैंक द्वारा उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र पेश करने को कहा गया है। आवेदक मृतक स्व भरत लाल केशरवानी के विधिक वारिसान है। अत: उपरोक्त जमा राशियों को प्राप्त करने के लिये आवेदक द्वारा उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत की है जिसकी आगामी सुनवाई तिथि 25.11.2024 को समय 11.00 बजे नियत की गई है।

अत: आम जनता में से किसी को भी उक्त आवेदन के संबंध में कोई आपत्ति / दावा हो तो इस सुनवाई तिथि को स्वयं या अपने वकील के माध्यम से या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो आपका पक्ष रख सके। जिसे प्राधिकार हो उपस्थित हो व अपना पक्ष समर्थन में जवाब अथवा आपत्ति प्रस्तुत करें सुनवाई तिथि 25.11.2024 को उक्त अनुसार उपस्थित न होने पर आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी। अत: इस न्यायालय द्वारा आज दिनांक 25.10.2024 को न्यायालय की सील व मुहर लगाकरजारी किया गया।

टीप- यदि किसी कारण वश उक्त पेशी तारीख को सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है अथवा किसी कारणवश न्यायालयीन कार्य स्थगित हो जाता है तो आगामी कार्य दिवस पर प्रकरण की सुनवाई होगी।

**दिनांक- 25.10.2024**
**स्थान- भाटापारा**

सील **(रोजमीन राजेश खाखा) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी भाटापारा, जिला बलौदाबाजार (छ.ग.)**

**कार्यालय सम्पदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, सम्पदा प्रबंधन, प्रक्षेत्र - दुर्ग (छ.ग.)**
**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री बी.एल. द्विवेदी आ. स्व. वासुदेव द्विवेदी एवं श्रीमती राजरानी द्विवेदी पति स्व. बी.एल. द्विवेदी निवासी-एम.आई.जी.-05, विद्युत सब स्टेशन के पास, आदित्य नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा भवन क्रमांक सीनि.एम. आई.जी.-05, आदित्य नगर, जिला दुर्ग (छ.ग.) में संयुक्त नाम पर आबंटित है। आबंटी श्री बी.एल. द्विवेदी की मृत्यु उपरान्त उनके वारिस/वारिसानो सह आबंटी श्रीमती राजरानी द्विवेदी पति स्व. बी.एल. द्विवेदी ने आबंटित भवन को अपने एकल नाम पर नामान्तरण हेतु इस कार्यालय में आवेदन किया है। उक्त भवन क्रमांक सीनि.एम. आई.जी.-05, आदित्य नगर, जिला दुर्ग (छ.ग.) के नाम इस शर्त पर नामान्तरण करना न्याय संगत होगा, यदि भविष्य में स्व. बी.एल. द्विवेदी के वारिसानों द्वारा किसी प्रकार का कोई दावा किया जाता है, तो उसके लिये मंडल कोई जवाबदार नहीं होगा।

अत: श्रीमती राजरानी द्विवेदी के नाम हस्तान्तरण पर यदि किसी व्यक्ति, वारिसान, शासकीय, अर्द्धशासकीय बैंक, वित्तिय निकायों आदि को कोई आपत्ति उजर हो तो, इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति/दावा इस कार्यालय में कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। म्याद/अवधि समाप्त हो जाने के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं नामान्तरण की कार्यवाही करने में मण्डल स्वतंत्र रहेगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय के मोहर के साथ आज दिनांक 25/10/2024 को जारी किया गया।

**सम्पदा अधिकारी**
**छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र-दुर्ग (छ. ग.)**
सील

**आम सूचना**

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरे पक्षकार श्री पीलेश्वर आडिल पिता श्री बलराम आडिल जाति मेहरा निवासी महामाया मंदिर के पास, वार्ड नं.-10 छिन्दभोग तह. पथरिया, जिला मुंगेली स्थित भूमि ख.नं. 2462/17 रकबा 0.01 हे. भूमि को पंजीबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रेता राजेश पिन्जानी पिता श्रीचंद पिन्जानी से दिनांक 23.12.2020 को प्राप्त किया है।

यह कि राजेश पिन्जानी पिता श्रीचंद पिन्जानी ने मौजा नवागढ़ प.ह.नं. 12, रा.नि.मं. व तह. नवागढ़, जिला बेमेतरा (छ.ग.) में स्थित ख.नं. 2462/17 रकबा 0.01 हे. भूमि को दिनांक 19.05.2014 को पंजीबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से श्री अमित माहेश्वरी पिता श्री धनराज माहेश्वरी से क्रय किया था, जिसका ग्रंथ क्र. 1992 द.क. 328 है।

उपरोक्त पंजीबद्ध विकय पत्र की मूल प्रति विक्रेता द्वारा मुझे प्रदान की गयी थी जो गुम हो गयी है जिसे मेरे द्वारा खोज किए जाने पर भी मूल प्रति मुझे नहीं मिली। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र की मूल प्रति मिलने की संभावना नहीं है।

उपरोक्त वर्णित संपत्ति के किसी भी अंश के एवज में किसी व्यक्ति/व्यक्तियों, संस्था, निगम, शासकीय / अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक, बीमा, वित्तीय संस्था, साहूकार से कोई भी ऋण नहीं लिया गया है।

अत: उपरोक्त वर्णित संपत्ति के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों, संस्था, निगम, शासकीय / अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक, बीमा, वित्तीय संस्था, साहूकार को कोई भी उजर या दावा आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन के 07 (दिन) के भीतर अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज के हमारे नीचे लिखे कार्यालय में प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें। बाद म्याद गुजरने के की गई उजर आपत्ति झुठी एंव नाजायज मानी जावेगी।

सो सूचना जाने।

**स्थान: बेमेतरा**
**दिनांक: 28.10.2024**
**अपूर्व तिवारी**
**(अधिवक्ता)**
**कार्यालय वार्ड नं. 03 नया बस स्टैण्ड के पीछे कचहरी पारा बेमेतरा**

**न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)**
**ईश्तहार**

रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष 2023-2024

एतद द्वारा आम जनता ग्राम रोहरा प.ह.नं. 06 तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.) को सूचित किया जाता है कि आवेदक तुलसी दास कुर्रे पिता दरसराम कुर्रे निवासी ग्राम रोहरा प.ह.नं. 06 तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग. ने आवेदन मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक की दादी भगवंतीन बाई पिता स्व. रामचरण का मृत्यु दिनांक 01/01/2011 को ग्राम रोहरा में होने पर भूलवश मृत्यु पंजीयन ग्राम पंचायत रोहरा में नहीं करा पाने के कारण मृत्यु पंजीयन दर्ज कर प्रमाण पत्र की मांग किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन